प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 39 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 23 – 30 सितम्बर 2019 मूल्य पांच रूपए

घातक हो सकती है विशाल नेहरिया और रीना कश्यप की उम्मीदवारी को मिली बगावत

शिमला/शैल। भाजपा ने अन्ततः धर्मशाला से विशाल नेहरिया और पच्छाद से रीना कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन दोनों की ही उम्मीदवारी को पार्टी के ही कार्यकर्ताओं से बगावत भी मिल गयी है। दोनों ही स्थानों पर पार्टी के विद्रोहीयों ने नामांकन दाखिल करके पार्टी के अधिकारिक चयन को चुनौती दे दी है। पच्छाद में तो विद्रोहीयों ने नामांकन के समय ही शीर्ष नेतृत्व के सामने नारेबाजी करके अपना विद्रोह और विरोध स्पष्ट कर दिया है। इस समय भाजपा केन्द्र से लेकर राज्यों तक सत्ता में है। पार्टी मोदी के नाम पर कुछ भी हासिल करने का दावा लेकर चल रही है क्योंकि जो बहुमत पार्टी को लोकसभा चुनावों में हासिल हुआ है शायद उसकी कल्पना कार्यकर्ताओं को भी नही थी। बल्कि इसी सफलता के बाद **''मोदी है तो मुमकिन है''** का नारा सामने आया है। आज पूरी पार्टी इसी नारे की लय में बह रही है इसलिये जब ऐसी स्थितियां उभर जाती हैं तो राजनीति के क्षेत्र में इसका स्वभाविक प्रतिफल यह हो जाता है कि हर कार्यकर्ता विधायक/सांसद बनने की ईच्छा रखने लग जाता है।

हिमाचल के इन उपचुनावों के लिये भाजपा की स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही है और इसी के चलते भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा अन्तिम दिन में ही हो पायी है जबकि सबसे लम्बी चर्चा इसी के नामों की रही है। बल्कि इस चर्चा में धर्मशाला से जो नाम पेनल में चल रहे थे उनको लेकर शायद पार्टी के वरिष्ठतम नेता लाल कुष्ण आडवाणी ने शांता कुमार से भी फोन पर जानकारी मांगी थी। सूत्रों की माने तो इस जानकारी में आडवाणी ने यह भी पूछा था कि धर्मशाला के पुराने कार्यकर्ताओं मिनोचा, कन्दौरिया और राकेश कपूर के नाम पैनल में क्यों नही रहे हैं। यह वह कार्यकर्ता है जो संघ के पुराने स्वयंसेवक रहे हैं। लेकिन इन लोगों का नाम पैनल में भी नही रखवा गया था जबकि इन्होंने भी टिकट के लिये आवेदन कर रखे थे। अब जो अन्त में उम्मीदवार सामने आये है शायद उनका संघ से कभी कोई वासता ही नही रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आदि के मामले में भाजपा भी कांग्रेस के ही नक्शे कदम पर चल पड़ी है इसमें भी वरिष्ठता और संघ के प्रति समर्पण कोई पैमाना नही रह गया है। शायद इसी कारण से भाजपा को धर्मशाला और पच्छाद में विद्रोहीयों का सामना करने की स्थिति खड़ी हो गयी है।

भाजपा अपने विद्रोहीयों को चुनाव मैदान से हटा पाती है या नही यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस दौरान धर्मशाला को लेकर जिस तरह से नाम चर्चा में आये उनमें आईजीएमसी में कार्यरत चम्बा से ताल्लुक रखने वाले एक डाक्टर का नाम भी सामने आया है इस नाम ने सबको चौंका दिया था क्योंकि यह चर्चा रही कि इस नाम की प्रोपोजल मुख्यमन्त्री के कार्यालय में एक पत्रकार की सिफारिश पर आयी और मुख्यमन्त्री ने भी इसका तुरन्त समर्थन कर दिया। योजना थी कि इस नाम पर दिल्ली से ही मोहर लगवा दी जायेगी और यह नाम सीधे हाईकमान के नाम लगा दिया जायेगा तथा उस सूरत में यहां पर कोई भी इसका विरोध नही कर पायेगा। यहां यह माना जा रहा था कि धर्मशाला के टिकट के लिये अन्तिम राय शान्ता कुमार की ही हावि रहेगी और उनका उम्मीदवार कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज को माना जा रहा था। किश्न कपूर का भी राजीव भारद्वाज के लिये पूरा समर्थन माना जा रहा था। लेकिन अन्त में विशाल नेहरिया के नाम पर हाईकमान की मोहर लगने से यह संदेश चला गया है कि धर्मशाला में शान्ता और जयराम दोनों की ही राय को अधिमान नही दिया गया है।

धर्मशाला में शायद राजीव भारद्वाज का नाम कांगड़ा बैंक के पिछले दिनों उभरे लोन प्रकरण के कारण आगे नही बढ़ पाया है। माना जा रहा है कि इस लोन प्रकरण को लेकर गुप्तचर ऐजैन्सीयों की रिपोर्ट केन्द्र के पास पहुंच चुकी थी और उसी कारण से धर्मशाला में पूरा गणित उल्ट गया है। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और वहां पर भाजपा की राजनीति जिस तरह से पिछले दिनों पवन राणा – रमेश धवाला और इन्दू गोस्वामी तथा राकेश पठानिया की आक्रामकता का शिकार रही है उसका इस उपचुनाव पर किस तरह का असर पड़ता है यह देखने लायक होगा।

प्रबोध सक्सेना और कांगड़ा बैंक लोन प्रकरण बन सकते हैं चुनावी मुद्दे

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के खिलाफ आई एन एक्स मीडिया प्रकरण में अभियोग की अनुमति भारत सरकार द्वारा दे दी गयी है। सक्सेना के साथ ही अन्य तीन अधिकारियों के खिलाफ भी यह अनुमति दी गयी है। आई एन एक्स मीडिया प्रकरण में यह सभी अधिकारी पूर्व वित्तमंत्री पी चिदम्बरम के साथ सह अभियुक्त हैं। बल्कि प्रबोध सक्सेना को पदोन्नत करने की भी चर्चा चली हुई है जिससे यह सपष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार की नजर में सक्सेना चिदम्बरम आदि के खिलाफ बुनियादी तौर पर मामला सही नही है क्योंकि अभी तक इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी इस प्रकरण में नही हुई हैं। जबकि चिदम्बरम इसी मामले में जेल में है। इन अधिकारियों के खिलाफ अब अभियोग की अनुमति आयी है। अभियोग की अनुमति तब मांगी जाती है जब मामले में जांच के बाद अदालत में चालान दायर किया जाना होता है। स्वभाविक है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी करके चालान तैयार कर लिया गया है और जांच के दौरान इनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नही समझी गयी। ऐसे में अब यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जिन अधिकारियों की सिफारिश पर चिदम्बरम ने मोहर लगायी है जब उनको ही गिरफ्तारी लायक नही माना गया तो फिर चिदम्बरम की गिरफ्तारी कैसे?

इसी तरह कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक द्वारा पिछले दिनों मनाली की एक पर्यटन ईकाई को 65 करोड़ का लोन स्वीकृत होने का मामला सामने आया है। यह लोन वीरभद्र शासन में स्वीकृत हुआ था और तब करीब सात करोड़ की एक किश्त ऋणकर्ता कांगड़ा बैंक की राजकीय महाविद्यालय उन्ना की ब्रांच से जारी हो गयी थी। उसके बाद सरकार बदलने के बाद इसे शायद बीस करोड़ की एक किश्त का भुगतान कर दिया गया। यह बीस करोड़ की किश्त मिलने के बाद ऋणी ने इसमें ग्यारह लाख रूपये वाकायदा चैक के माध्यम से विवेकानन्द ट्रस्ट पालमपुर को दान के रूप में दे दिये। शान्ता कुमार इस ट्रस्ट के चेरयमैन हैं उन्होने दान का यह चैक ऋणी को वापिस कर दिया क्योंकि तब तक इस ऋण को लेकर विवाद खड़ा हो चुका था। इसमें सबसे रोचक यह है कि कांगड़ा बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ऐसे में दान का यह चैक एक प्रकार से रिश्वत बनता है। सर्वोच्च न्यायालय तो रैडक्रास को इस तरह से दान देने को अपराध मानकर सजा दे चुका है। ऐसे में कांगड़ा बैंक का यह लोन और फिर उसमें से दान देना सीधा भ्रष्टाचार का मामला बनता है जिसकी राज्य सरकार को जांच करनी चाहिये थी। लेकिन जयराम सरकार ऐसा नही कर पायी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस ऋण दान और प्रबोध सक्सेना मामले को इन उपचुनावों में एक मुद्दा बनाकर सरकार को घेर सकती है।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने पर बल:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में अच्छे शैक्षणिक माहौल के अलावा, रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाना चाहिए।

राज्यपाल राजभवन शिमला में कुलपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कुलपतियों द्वारा विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों पर दी गई प्रस्तुतियों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि वह जल्द ही हर विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है और हम गुणात्मक शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति को यह विचार करने की जरूरत है कि गुणात्मक अनुसंधानयुक्त शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम क्या प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसके अलावा, अन्य विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करके शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय

स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने चाहिए जो छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अलावा, हमें विश्वविद्यालय स्तर पर स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत है, इसलिए ऐसे पाठ्यक्रम जो पर्यटन पर आधारित हैं, शुरू किए जाने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा भी आज काफी प्रभाव डाल रही है, जिसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को और मजबूत किया जाना चाहिए और पढ़ाए जाने वाले विषय उद्योगों की जरूरतों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अधिक तकनीकी सहायता और सहयोग प्राप्त करने के एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जा सके।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय स्तर पर छात्राओं की बढ़ती संख्या पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक आध्यात्मिक भूमि है और छात्रों में नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए सख्त प्रशासन और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कुलपति प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर समन्वय के लिए विचार मंथन सत्र बुलाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा उनकी प्राथमिकता है और हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने निर्धारित समय के भीतर काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने हिमालयन बाइकिंग रैली को दिखाई हरी झंडी

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने से हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन (एचएएसटीपीए) और हीरो साइकिल द्वारा आयोजित एशिया की सबसे पुरानी माउंटेन बाइकिंग हीरो एमटीबी हिमालय को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस बाइकिंग रैली में शिमला से कांगड़ा जिले के बीड तक आठ दिनों की रोमांचक यात्रा शामिल है। इस रैली में 17 देशों के लगभग 100 साइकिल सवार भाग ले रहे हैं।

राज्यपाल ने भारत के बाईक सवारों को अपने अंतरराष्ट्रीय बाईक सवार साथियों के बीच भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण केवल पर्यावरण का नहीं है, बल्कि विचारों का भी है, और मैं उन सभी भारतीय राष्ट्रीय बाईक सवारों से अनुरोध करता हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाईक सवारों के बीच हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एमटीबी हिमालय की इस यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाईक सवारों को यात्रा के साधन के रूप में प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद किया।

उन्होंने राज्य के पर्यावरण को पुनः प्राप्त करने के लिए एक खेल के रूप में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए एचएसटीपीए और एमटीबी हिमालय की भी सराहना की।

अध्यक्ष, एचएसटीपीए मोहित सूद ने प्रतिभागियों को अवगत कराया और कहा कि इस वर्ष सात महिलाएँ इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि हीरो एमटीबी हिमालय ने 15 साल पूरे करके दुनिया भर में शीर्ष एमटीबी स्टेज दौड़ में स्थान बनाया।

हिमाचल ने जीती डाक विभाग वॉलीबाल प्रतियोगिता

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश के लोग डाक विभाग को एक सभ्यता व संस्कृति के रूप में देखते हैं, इसलिए उनका दायित्व और बढ़ जाता है।

राज्यपाल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में डाक विभाग की 34वीं अखिल भारतीय वॉलीबाल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि डाक विभाग लगभग 165 साल पूराने देश के प्राचीनतम संस्थानों में एक है, जो देशवासियों को सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के हितों के लिए भी सजग है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि विभाग द्वारा हर साल 14 प्रकार की खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से जहां देश की विविधता में एकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है वहीं कर्मचारियों व खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। इससे उनमें कार्य क्षमता, कुशलता, सौहार्द, राष्ट्रीय उत्थान और एकता की भावना जागृत होती है। उन्होंने कहा कि मानसिक संतुलन को सुदृढ़ करने और शरीर को स्वस्थ रखने में भी ऐसे आयोजन कारगर सिद्ध होते हैं।

राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन की बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि बदलते परिवेश में डाक विभाग ने अपनी अलग पहचान बनाई है और तकनीकी क्रांति के साथ चलते हुए अपनी पहचान को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि इस लंबी यात्र में विभाग ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं परंतु आज भी जन साधारण का विश्वास इस विभाग के प्रति अधिक है। उन्होंने कहा कि यह विभाग निरंतर विस्तार की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमैंट बैंक की स्थापना से डिजीटल वित्तीय लेन-देन देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच गया है।

दत्तात्रेय ने कहा कि देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और डाक विभाग भी पारम्परिक सेवाओं के साथ-साथ आधार कार्ड, इलैक्ट्रानिक मनीऑर्डर, पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया तथा इंडिया पोस्ट पेमैंट बैंक सेवा के माध्यम से जनसाधारण का जीवन सुगम बना रहा है। देश हित के इन प्रयासों के लिए उन्होंने विभाग को बधाई दी।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने अखिल भारतीय वॉलीबाल प्रतियोगिता की प्रथम विजेता हिमाचल की टीम को प्रथम, कर्नाटक को दूसरा और पश्चिम बंगाल को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के धरोहर भवनों पर आधारित विशेष आवरण को भी जारी किया।

इससे पूर्व, डाक सेवा बोर्ड के सदस्य ए.पी. सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कहा कि डाक विभाग में खेल गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि खेलों में खेल भावना अधिक महत्वपूर्ण है।

हिमाचल प्रदेश की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल समिता कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा अखिल भारतीय वॉलीबाल प्रतियोगिता के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPATMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders are hereby invited by the Executive Engineer, Hamirpur Division HPPWD., Hamirpur in form No. 6 &8 on behalf of Governor of H.P. for the following works from the contractors of appropriate class enlisted with HP.PWD. The tender shall be opened in the presence of the contractors / firms or their representative who wish to be present.

TIME SHEDULE OF TENDER:-

1	Date and time of receipt of application for tender form:-	17-10-.2019 up to 4.00 P.M.
2.	Date and time of issue of tender form :-	19.10.2019 up to 3.00 P.M.
3.	Date and time of receipt of tenders:-	21.10.2019 up to 10.30 A.M.
4.	Date and time of opening of tenders:-	21.10.2019 at 11.30 A.M.

The request for issue of tenders should be on the PRESCRIBED APPLICATION FORM which can be obtained from the office of undersigned and tenders will be issued to only those contractors who qualify the criteria after the +scrutiny of application forms by the Committee constituted for this purpose.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	EMD	Time limit	Cost of tender	Eligible Class of contractor
1.	Repair and maintenance of Chief Medical office at Hamirpur (SH:- Construction of Shed /Garage for C.M.O. and M.O.H. Vehicles).	2,00,098	4000/-	One month	350/-	Class D
2.	A/R&M/O approach road to Executive Engineer Residence Hamirpur (SH:- Providing and laying interlocking paver and construction of U-Shape drain at RD 0/0 to 0/050).	2,33,321/-	4700/-	One month	350/-	Class D
3.	Restoration of road damages on Dhaned to Talasi via Shiv Nagri road Km. 0/0 to 3/0 (SH:- C/O P.C.C. Retaining wall with 1:5:10 at RD 0/165 to 1/175).	1,42,045/-	2900/-	One month	350/-	Class D
4.	A/R&M/O on various roads under Nadaun and Bara Section (SH:- Repair of pot holes trimming of grass and bush cutting).	4,50,001/-	9000/-	One month	350/-	Class D
5.	C/O Security Guard Hostel Entrance and Sujanpur road Side entrance in Govt. Degree College Hamirpur).	4,87,198/-	9800/-	One month	350/-	Class D
6.	Repair and maintenance of Fire Brigade office at Hamirpur (SH:- Construction of Rain water Harvesting Tank). Deposit work	1,38,499/-	2800/-	One month	350/-	Class D
7.	A/R&M/O on various roads under Jhaniary Section (SH:- Providing and laying G-III trimming of grass bush cutting and repair of pot holes).	3,50,002/-	7000/-	One month	350/-	Class D
8.	A/R&M/O on various roads under Nalti Section (SH:- Providing and laying G-III trimming of grass bush cutting and repair of pot holes).	3,50,000/-	7000/-	One month	350/-	Class D
9.	A/R&M/O on various road under Baru Section (SH:- Providing and laying G-III trimming of grass bush cutting and repair of pot holes).	2,50,238/-	5000/-	One month	350/-	Class D
10.	C/o link road from Balokhar to vill.Bhota Km.0/0 to 1/200.(SH:- P/L GSB & WMM/tarring at Rd.0/500 to 0/650, pavers at various RDs) under MMGSY.	182792/-	3700/-	One month	350/-	Class D
11.	A/R & M/O on various roads under Rangas Section (SH:- Providing and laying WMM, Trimming of grass bush cutting and repair of pot holes).	4,50,765/-	9000/-	One month	350/-	Class D
12.	Missing CD on Jangloo Kuthera Gadiyara road Km.0/0 to 2/0.(SH:- C/o 900 mm diahume pipe culvert at Rd.1/800 along with retaining wall at RD.1/801.25 to 1/813, C/o U-shape drain at Rd.1/803.60 to 1/840(LHS and D/S drain).	335590/-	6800/-	One month	350/-	Class D
13.	A/R&M/O PWD Colony Hamirpur (SH:- Painting , distempering and repair of toilet of Type-III Qtr No.9.	3,36,115/-	6800/-	One month	350/-	Class D

1. The earnest money in the shape of National Saving Certificate, Time deposit account in any of the post office in HP / FDR of any Bank duly pledged in favour of **Executive Engineer, Hamirpur Division, HP.PWD.** , Hamirpur must be accompanied with the application for receipt of tender form along with cost of form .Tender application received without earnest money will be rejected.
2. The contractors / firms should possess the following documents (photo copy to be attached with application for obtaining the tenders documents):-
(i) Latest enlistment / renewal orders with application for obtaining the tenders documents.
(ii) GST Number issued by the Sale Tax Department.
(iii) PAN (Permanent Account Number) issued by the Income Tax Department.Shall contain scanned copies of EPF issued from competent authority.
3. The Executive Engineer, Hamirpur Division HPPWD., Hamirpur reserves the right to reject any tender without assigning any reasons(s).
4 The Cess Charges @ 1% will be deducted from the gross amount of work done by the Contractor.
5. The work will be completed by the contractor with in the stipulated period.
6. The contractor /firms are required to insert the rate of each item in wards as well as in figures failing which Executive Engineer reserves the right to accept/rejects any over all tender.
7. The tender shall be issued to only those contractor /firms who are eligible, suitable and competent.
8. The tender forms shall be issued to eligible contractors depending upon their past performance and work experience which shall be duly evaluated by the technical evaluation committee.
9.The Contractor/firm having necessary documents, and past adequate experience shall be preferred.
10. The Contractor who have failed to start/Complete the work in hand with in reasonable time shall not be issued tender forms.
11. A contractor enlisted in a particular class shall be eligible to tender for his own class and one step below.
12. Only one No. tender form will be issued to the eligible contractor.
13. If 21-10-2019 happens to be holiday the tender shall be opened on next working day at 11.00.
14. GST will be dedected as per rates fixed by the Govt.
15. Challan of payment made to the labour registered under EP:F submitted with each running other wise no payment shall be made

Adv. No.2241/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर चलाए गए विशेष प्रतिमा सफाई अभियान में भाग लिया तथा चौड़ा मैदान में स्थापित संविधान निर्माता डा. बी.आर. अम्बेदकर की प्रतिमा की सफाई की।

बाद में, मुख्यमंत्री ने रिज में स्थापित महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इन्दिरा गांधी, हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार तथा ले. जनरल दौलत सिंह की प्रतिमाओं की साफ-सफाई की।

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान केन्द्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल महान नेताओं की प्रतिमाओं की साफ-सफाई करना ही नही बल्कि उनकी पवित्रता को बनाए रखने के साथ-साथ लोगों को अपने आस-पास साफ-सफाई बनाए रखने का सन्देश देना भी है। उन्होंने कहा कि यह स्वच्छता अभियान न केवल हमारे आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखेगा बल्कि हमें बीमारियों से भी दूर रखेगा।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, उप-महापौर राकेश सहित विभिन्न बोर्डों व निगमों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों ने भी इस अभियान में भाग लिया।

दन्त चिकित्सक 5 नवम्बर से करेंगे अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन

शिमला/शैल। बेरोजगार दन्त चिकित्सकों द्वारा प्रैस क्लब शिमला में प्रैस वार्ता कर सरकार से मांग की कि प्रदेश में अवैध चल रही झोला छाप दन्त चिकित्सकों की दूकाने बन्द करके उनके खिलाफ कड़ी कारवाई करे। साथ ही उन्होने सरकार से मांग की है कि दन्त चिकित्सकों के लिये प्रदेश सरकार एक रेगुलर कमीशन गठित करे। आज प्रदेश के दन्त चिकित्सक बुरे दौर से गुजर रहे हैं 17-18 साल पहले अपनी बीडीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार बेपरवाह है। इस समय प्रदेश में लगभग 2500 दन्त चिकित्सक हैं और 500 के आसपास हर साल नये दन्त चिकित्सक पास आऊट कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने पिछले कुछ सालों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोले है उसी तर्ज पर रोजगार भी मुहैया करवाये। इस समय प्रदेश में दन्त चिकित्सकों के 400 पद खाली पड़े हैं जिन्हें सरकार नही भर रही। सरकार द्वारा 2013 से 2019 तक सिर्फ 50 दन्त चिकित्सकों के पद भरे गये हैं। पिछली काग्रेस सरकार ने दन्त चिकित्सकों को धोखा दिया और अब की भाजपा सरकार से भी हमें निराशा ही हाथ लगी है। इस समय पूरे प्रदेश में 200 के आसपास दन्त चिकित्सक अपनी सेवायें सरकारी क्षेत्र में दे रहे हैं। अगर सरकार बेरोजगार दन्त चिकित्सकों की मांगे नही मानती है तो एक बार फिर से 2017 दोहराया जायेगा और 5 नवम्बर 2019 को आईजीएमसी शिमला के गेट पर अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने शिमला में निर्माणाधीन हैलीपोर्ट तथा परिधि गृह के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने संजौली के समीप निर्माणाधीन हैलीपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हैलीपोर्ट 10.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है और इसके तैयार होने के बाद उड़ान योजना के अंतर्गत हैलीकॉप्टर सेवाएं सुदृढ़ हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह हैलीपोर्ट न केवल पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करेगा बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने अधिकारियों से हैलीकॉप्टर के लिए 'हैंगर' सुविधाएं विकसित करने की संभावनाओं का भी पता लगाने के निर्देश दिए ताकि हैलीकॉप्टर इस्तेमाल में न होने की स्थिति में उसे वहां रखा जा सके।

जय राम ठाकुर ने अधिकारियों से निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा यहां पर्याप्त पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए ताकि यहां आने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो।

इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने शिमला के पीटरहॉफ के निकट विली पार्क में निर्माणाधीन परिधि गृह के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस परिधि गृह में 89 कमरें होंगे और इससे न केवल राज्य अतिथियों को रहने की सुविधा उपलब्ध होगी बल्कि शिमला आने वाले पर्यटक भी इसकी सेवाएं ले सकेंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस परिधि गृह को अक्तूबर, 2019 में पूर्ण करने का लक्ष्य का रखा गया है और संबंधित अधिकारियों को इसे निर्धारित समय में तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्मित होने वाले इस परिधि गृह में सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे आधुनिक कमरे, लिफ्ट तथा पर्यटकों के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध होगी।

मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान संचिव लोक निर्माण विभाग जे.सी.शर्मा, निदेशक पर्यटन विभाग यूनुस, प्रमुख अभियन्ता राज कुमार वर्मा, मुख्य अभियंता शिमला क्षेत्र ललित भूषण, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कुमुद सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शिमला के रिज का कुछ भाग धंसने की आ रही समस्या के समाधान बारे आई.आई.टी. रूड़की के विशेषज्ञों के साथ पीटरहॉफ में चर्चा की। उन्होंने कहा कि रिज को 'स्टेबल' करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस स्थल का सौंदर्यकरण किया जा सके और इससे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्थान भी मिल सकेगा।

स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक मण्डल की उप-समिति की एक बैठक मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

मुख्य सचिव ने शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जा रहे कार्यो की समीक्षा की और भावी रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 250 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए योजना तैयार कर स्वीकृति के लिए शीघ्र बोर्ड को भेजें, ताकि तुरन्त निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि स्मार्ट सिटी के कार्यो को गति दी जाए। उन्होंने इस कार्य के लिए विभिन्न श्रेणियों कई पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

डॉ. बाल्दी ने इसके उपरान्त, अम्रूत के अन्तर्गत हुई प्रगति की समीक्षा भी की और शिमला में इस योजना के अन्तर्गत अभी तक हुए कार्यो पर सन्तोष व्यक्त किया।

भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संभावित संशोधन की प्रक्रिया जल्द हो पूरी:विनोद

शिमला/शैल। विभिन्न वर्गो के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के संशोधन बारे हि.प्र. सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा पत्र संख्या:पीईआर-एपी-सी-ए (3)-2 /2019 में सरकार के सभी विभागों और निगमों बोर्डो से इन नियमों के संभावित होने वाले संशोधन बारे प्रस्ताव मांगें है, जिसका हि.प्र. अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने स्वागत किया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि महासंघ ने दिनांक 6.11.2018 और 9.8.2019 को मुख्यमन्त्री के समक्ष इन नियमों के संशोधन बारे ज्ञापन देकर प्रस्ताव रखा कि वर्षो से सैकड़ों वर्गो के हज़ारों छोटे कर्मचारियों की पदोन्नतियां नियमों में अव्यवहारिक शर्तो और प्रक्रियागत खामी के कारण रूकी पड़ी है, जिन्हें शीघ्र दुरूस्त करके कर्मचारियों को पदोन्नति के खुले अवसर प्रदान किए जायें। महासंघ ने इस सम्बन्ध में 9.9.2019 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) और मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव को प्रस्ताव देकर चर्चा की, जिस पर सरकार ने वांछित कार्रवाई प्रारम्भ की है । दूसरी प्रमुख मांग 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना है, जिसको लेकर महासंघ प्रयासरत है।

प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि सरकार द्वारा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संभावित संशोधन की प्रारम्भ की गई प्रक्रिया को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर अन्तिम रूप दिए जाने की महासंघ ने मुख्यमन्त्री से मांग करते हुए कहा है कि पिछले 15 वर्षो की अधिक अवधि से नियमों में निर्धारित अव्यवहारिक शर्तो के कारण सैकड़ों वर्गो के हज़ारों कर्मचारियों की पदोन्नतियां रूकी पड़ी है, जबकि वर्ग में रिक्त पद खड़े हैं और वर्ग में पद की वांछित शैक्षणिक योग्यता और वरिष्ठता की पात्रता कर्मचारी रखते हैं। चूंकि 1998 से पूर्व वर्ग में रिक्त पद के विरूद्ध पदोन्नतियां वरिष्ठता और शैक्षणिक योग्यता का आधार थी, जिसे बाद में नियमों में संशोधन कर वर्ग में अगले पद पर पदोन्नत होने के लिए एक लम्बा सेवाकाल जोड़ा गया, परिणामस्वरूप कर्मचारियों की पदोन्नतियां प्रभावित हुई। जिसके कारण छोटे कर्मचारियों के सेवा करियर में स्थिरता पैदा हुई, जबकि बडे अधिकारियों की पदोन्नतियां उनके रसूख और सम्बन्धों के आधार पर ऐसी शर्तो से बाहर रखकर हो रही हैं।

राज्य सरकार 'देव संस्कृति' को संजोकर रखने के लिए प्रतिबद्ध: जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। राज्य सरकार प्रदेश की 'देव संस्कृति' को संजोकर रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस कार्य में सहयोग करने वालों को सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू ज़िला कारदार संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां के लोगों की देवी-देवताओं में गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए यहां की पौराणिक संस्कृति को संरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के उत्सव के दौरान देव धुन बजाने का निर्णय लिया है जिसमें लगभग 2000 स्थानीय कलाकार भाग लेंगे।

जय राम ठाकुर ने संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

कुल्लू ज़िला के कारदार संघ के अध्यक्ष जय चंद ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कुल्लू में देव संस्कृति शोध संस्थान आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संघ की विभिन्न मांगों के बारे में भी अवगत करवाया।

परिवहन एवं वन मंत्री गोविंद ठाकुर और कारदार संघ के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

भगवान मूर्तियों में नही बसता बल्कि आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर..... चाणक्य

सम्पादकीय

मोदी की अमरीका यात्रा के बाद दवाईयों की कीमतों मे बढौतरी क्यों

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमरीका यात्रा के बाद नैशनल न्यूज चैनल ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में प्रधानमन्त्री मोदी के साथ ब्रेकफास्ट में अमरीका की कुछ कंपनीयों के सीईओ शामिल हैं। न्यूज चैनल के खुलासे के मुताबिक यह सीईओ वहां की कुछ दवा निर्माता कंपनीयों के हैं और इनकी कंपनीयां भारत की कुछ कंपनीयों के साथ मिलकर भारत में भी कारोबार कर रही हैं। चैनल के खुलासे के अनुसार प्रधानमन्त्री की इस यात्रा के बाद इन कंपनीयों द्वारा बनाई जा रही 108 दवाईयों के दाम भारत में मंहगे हो गये हैं। मंहगाई का स्तर यह हो गया है कि कैंसर की जो दवाई पहले 8500 रूपये में मिलती थी अब उसकी कीमत एक लाख आठ हजार हो गयी है। ऐसे ही अन्य दवाईयों में भी कई गुणा बढ़ौत्तरी हुई है। यदि चैनल का खुलासा सही है तो अब गंभीर बिमारियों का ईलाज करवा पाना आम आदमी के बस के बाहर हो जायेगा। चैनल में दिखाये गये वीडियो का कोई खण्डन भारत सरकार द्वारा नही किया गया है और खण्डन न होने से इस वीडियो और उससे जुड़े खुलासे को सही मानने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही रह जाता है। क्योंकि इन सीईओज़ के साथ प्रधानमन्त्री के ब्रेकफास्ट को सारे प्रशंसक चैनलों ने भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाया हुआ है। इन चैनलों ने इसके पीछे का सच नही दिखाया था अन्तर सिर्फ इतना ही है।

प्रधानमन्त्री की अमरीका यात्रा और यूएन में उनके भाषण के बाद कुछ चैनलों ने मोदी जी को विश्व विजेता और फादर ऑफ नेशन तक के संबोधन दिये हैं। इन चैनलों की राय ऐसी हो सकती है और उन्हे ऐसी राय रखने का अधिकार भी है। मैं उनके इस अधिकार पर कोई आपति नही उठा रहा हूं भले ही ओवैसी ने फादर ऑफ नैशन पर अपनी आपति दर्ज कराई है। मेरा यहां पर मोदी जी और उनके प्रशंसक चैनलों से इतना ही आग्रह है कि मोदी और ट्रंप की घनिष्ठ दोस्ती सबके सामने आ चुकी है। यदि इस दोस्ती के लाभ के रूप में ट्रंप भारतीय निर्यात पर लगाये गये उस शुल्क को वापिस ले लेते जिसके कारण देश के व्यापार को 38000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा हैं मैं यह आग्रह इस आधार पर कर रहा हूं कि जब मोदी जी ट्रंप के लिये **''अब की बार ट्रंप सरकार''** का वातावरण बनाकर आये हैं और मोदी के इस नारे पर अमेरीकी भारतीयों ने भी अपनी मोहर लगा दी है तो बदले में देश को यह राहत तो मिलनी ही चाहिये थी। क्योंकि ऐसे अवसर बार-बार नही मिलते हैं और अब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है और उससे यह आशंका बढ़ भी गयी है।

मोदी जी ने इस यात्रा में यू एन को संबोधित करते हुए पूरे विश्व को यह बताया है कि भारत में सब कुछ अच्छा है। विश्व को यही बताया जाना चाहिये था। इमरान खान ने यू एन में अपने 50 मिनट का भाषण में कश्मीर को लेकर जो कुछ विश्व को बताया है उसका व्यवहारिक जवाब मोदी जी को अपने देश में अपने आचरण से देना होगा। कश्मीर के हालात क्या हैं उसके बारे में देशवासी अपने तौर पर जानते हैं। देशवासी जानते हैं कि प्रधानमन्त्री का यू एन संबोधन शेष विश्व के लिये था। देश जानता है कि कश्मीर में अभी तक भी प्रतिबन्ध यथास्थिति बने हुए हैं। वहां कालेज और विश्वविद्याालय अभी तक बन्द चल रहे हैं। अभी भी संचार सेवायें पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं। फारूख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर गृहमन्त्री के संसद में ब्यान और बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बाद आये ब्यान में विरोधाभास खुल कर सामने आ चुका है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पर मसूद अहमद भट्ट को लेकर उसकी पत्नी की याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के जस्टिस अली मोहम्मद मैगरे के 25-9-19 को सुनाये फैसले से वहां प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। अदालत ने भट्ट की तुरन्त रिहाई के आदेश दिये हैं। दो नाबालिगों को भी इसी तरह बंदी बनाये जाने पर उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब तलब किया है। ऐसे दर्जनों मामले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक आये हुए हैं। ऐसे मामलों को देर तक लंबित रखने से अदालत की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगने की स्थिति आ जायेगी। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के औचित्य को देश की जनता को समझाने के लिये पिछले दिनों संगठन की जिम्मेदारी लगाई थी और संगठन ने ऐसा हर राज्य में किया भी है। माना जा रहा है कि संगठन के इस प्रयास के बाद राज्य में हालात एकदम सामान्य हो जायेंगे और वहां से हर तरह के प्रतिबन्ध हटा लिये जायेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका है जिससे साफ हो जाता है कि इस सम्बन्ध में दिया जा रहा स्पष्टीकरण पूरी तरह लागों के गले नहीं उतर रहा है।

इस परिदृश्य मे यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह सब कुछ कब तक ऐसे चलता रहेगा और इसका अन्तिम परिणाम क्या होगा। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पर ई.डी. और सी.बी.आई. की सक्रियता कुछ विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर बढ़ती नज़र आ रही है उससे भी जनता में कोई अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। क्योंकि आजम खान के मामले में बकरी चोरी, किताब चोरी और पेड़ चोरी जैसे आरोप लगने से संवद्ध प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे हैं। चिन्मयानन्द के मामले में पीड़िता लड़की का जेल में होना इन्हीं सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाता है। इसलिये आवश्यक है कि सारे राजनैतिक पूर्वाग्रहों को छोड़कर सारी वस्तुस्थिति पर समय रहते निष्पक्षता से विचार कर लिया जाये।

सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता

'डॉ कामिनी वर्मा'
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

दिसंबर 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। 26 जनवरी 1930 को सम्पूर्ण देश मे स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य से नमक कानून तोड़ो आंदोलन आरम्भ करने का निश्चय किया गया। गांधी जी का विचार था नमक प्रकृति में हवा, पानी के समान मुफ्त में उपलब्ध है, इसे समुद्र के

किनारे पानी को इकठ्ठा करके, नमक के पहाड़ से तथा मिट्टी से बनाया जा सकता है। सरकार सिर्फ कर प्राप्त करने के लिये इसको बनाने पर रोक लगाती है, जिससे गरीबों को पर्याप्त मात्रा में नमक नही मिल पाता अत: इस कर को समाप्त किया जाना चाहिये। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरम्भ करने से पूर्व गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से 2 मार्च 1930 को वायसराय को पत्र लिखकर समझौता करने का भी प्रयास किया। परंतु उनका प्रयास असफल रहा। इसके पूर्व 30 जनवरी 1930 को अपने पत्र में 'यंग इंडिया' द्वारा पूर्ण शराबबंदी, राजनैतिक बंदियों की मुक्ति, सैन्य व्यय में 50 प्रतिशत की कमी, सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन में कमी, शस्त्र कानून में सुधार, गुप्तचर व्यवस्था में परिवर्तन, रुपया स्टर्लिंग की दरों में कमी, विदेशी वस्त्र आयात पर प्रतिबंध, भारतीय समुद्र तट सिर्फ भारतीयों के लिए सुरक्षित, भूराजस्व में कमी तथा नमक कर की समाप्ति जैसी 11 मागें वायसराय इरविन के समक्ष रखी। उक्त सभी मांगे अस्वीकार किये जाने के बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने विद्यापीठ सहित 76 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान तक 24 दिन तक पदयात्रा करके 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून की अवहेलना की। स्वयं नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करने वाली इस पदयात्रा में एक भी महिला शामिल न होने से राष्ट्रवादी नारियां आक्रोशित थी। 'स्त्री धर्म' पत्रिका की संपादक मारग्रेट कुंजिस ने अपनी पत्रिका में इसका विरोध भी किया। दादा भाई नौरोजी की पौत्री खुरशीद ने गांधी जी को नाराजगी भरा पत्र भी लिखा। अन्ततः कमला देवी चटोपाध्याय की अपील पर गांधी जी एवं कांग्रेस समिति ने स्त्रियों को इस अभियान में सम्मिलित किया।

इस ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम दिन सरोजिनी नायडू ने इसमें शामिल होकर गिरफ्तारी दी। वह इस अभियान में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तदनन्तर लाडो रानी जुत्शी, कमला नेहरू, हंसा मेहता, सत्यवती, अवंतिका बाई गोखले, पार्वती बाई, रुकमणी देवी, लक्ष्मीपति, लीलावती मुंशी, दुर्गाबाई देशमुख सहित 1600 महिलायें पर्दा त्याग कर उत्साहपूर्वक नमक सत्याग्रह की सहभागी बनी व बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देकर इस अभियान को सुदृढ़ता प्रदान की। उन्होंने अपने पृथक संगठनों का निर्माण भी किया। नारी सत्या गृह समिति, देश सेविका संघ, महिला राष्ट्रिय संघ, स्त्री स्वराज्य संघ, पिकेटिंग बोर्ड आदि संगठनों के माध्यम से न सिर्फ सत्याग्रह किया अपितु चरखा चलाने का प्रशिक्षण, खादी बेचने तथा उसका प्रचार करने का काम भी किया।

'कमला देवी चटोपाध्याय के शब्दों में' स्त्रिओं ने घर की दहलीज लांघकर, गर्वीले सैनिकों के समान लंबे लंबे कदम उठाती हुई समुद्र में कूद पड़ी। उन्होंने हथियारों की जगह मिट्टी, तांबे तथा पीतल की गगरियाँ एवं वर्दी के स्थान पर साधारण भारतीय ग्रामीण साड़ी पहन रखी थी। हजारों की संख्या में जवान, बूढ़ी, अमीर, गरीब महिलाएं अपने सामाजिक बन्धनों को त्यागकर नमक सत्याग्रह में शामिल हुई। वो बिना किसी डर के 'नमक कर' का उल्लंघन करने वाले आंदोलन को सफल बनाने में संयोजित हो गयी। वो नमक के पैकेट हाथ मे लेकर गलियों में गर्व से आवाज लगाती ''हमने नमक कानून तोड़ दिया है और हम आजाद है'' है कोई आजादी का नमक खरीदने वाला? उनकी आवाज सुनकर आसपास से गुजरने वाला हर राहगीर उनके हाथ में सिक्का थमाकर नमक का पैकेट ले लेता और स्वाभिमान से आगे बढ़ जाता।

सम्पूर्ण देश में नमक बनाकर कानून का खुलकर उल्लंघन किया गया, नमक बनाने की कई विधियां इजाद की गई। बम्बई, कलकत्ता सहित देश के अनेक स्थानों पर हड़ताल हुई। जलूस निकाले गए, जन सभाएं की गई। असेम्बली और काउन्सिल के सदस्यों ने अपने पदों को त्याग दिया। त्याग पत्र देने वालों में मुथुलक्ष्मी रेड्डी तथा हंसा मेहता भी शामिल थीं। नवयुवकों ने राजकीय कॉलेज और नौकरियां छोड़ दीं। तथा विदेशी वस्त्रों को जला दिया गया। लगभग 2500 सत्याग्रहियों ने धरसाना के नमक गोदाम पर कब्जा कर लिया । प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजी हुकूमत ने बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की। गांधी जी सहित 60,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। सरकारी दमनचक्र के ''अमानुषिक कृत्य'' का प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन ''न्यूयार्क टेलीग्राम'' के अमरीकी संवाददाता बेब मिलर ने किया है -

'' 22 देशों में 18 अखबारों के लिए रिपोर्टिंग करते हुए मैने अनगिनत नागरिक झगड़े, दंगे फसाद, सड़को पर लड़ाईयां व विद्रोह देखे लेकिन धरसाना जैसा हृदयविदारक दृश्य नही देखा। कई बार दृश्य इतना दर्दनाक हो जाता था कि मुझे अपनी आँखें हटा लेनी पड़ती थी। स्वयंसेवकों का अनुशासन आश्चर्यजनक था, पुलिस द्वारा सैकड़ों प्रहार किए जाने पर भी स्वयं सेवकों ने एक बार भी प्रतिउत्तर नही किया।''

द राइज एंड फाल हिटलर के लेखक विलियम एल. शिरर ने अपने संस्मरण में लिखा है ''यह बड़ा ही त्रासदीपूर्ण दृश्य था, मैं अहिंसा के उस शानदार अनुशासन पर चकित था जो गांधी जी की प्रतिभा ने उन्हें सिखाया था, उन्होंने जवाबी वार नहीं किया, अपने चेहरों और सिरों को लाठी के प्रहारों से बचाने की कोशिश के सिवाय उन्होंने अपना कोई बचाव नही किया'।

सरोजनी नायडू के नेतृत्व में महिला संगठन पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्यवाई की। एक अप्रैल 1930 को स्वरूप रानी नेहरू की अगुवाई में महिला प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई गयीं जिससे स्वरूप रानी सिर में गंभीर चोट लगने से बेहोश होकर गिर गयी। दिल्ली में महिलाओं के जलूस पर हुए लाठीचार्ज में दस महिलाएं बुरी तरह घायल हुई, बलसाड़ में सत्याग्रह कर रही डेढ़ हजार महिलाओं पर लाठियां चलायी गयी जिसमें नेतृत्व कर रही महिला का सिर फट गया फिर भी वह बेहोश होकर गिरने तक आंदोलन कर्त्रियों का उत्साहवर्धन करती रही।

देश भर में लाखों महिलाओं ने गांधी जी के नमक कानून तोड़े आंदोलन में सम्मिलित होकर सक्रिय सहभागिता निभाते हुए व्यापकता प्रदान की। इस राष्ट्रीय आंदोलन में न सिर्फ महिलाएं शामिल हुई अपितू पुलिस की नृशंसतापूर्ण कार्यवाही का दृढ़तापूर्वक सामना भी किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया वो कोमल जरूर है परंतु कमजोर नही। ''कोमल है कमजोर नही, शकित का नाम ही नारी है' मां , बहन, पत्नी, प्रेयसी के रूप में जहाँ वह पुरुष को भावनात्मक सम्बल प्रदान करने वाली है वहीं आवश्यकता पड़ने पर लाठियों का प्रहार सहन करके राष्ट्र को सदृढ़ता प्रदान करने में भी सक्षम है ।

'फूल नही चिंगारी है,
यह भारत की नारी है'

जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो फिर यह याचिकाएं क्यों?

शिमला/शैल। जम्मू – कश्मीर को संविधान की धारा 370 और 35A के तहत मिले विशेष दर्जे को हटाने से पहले वहां पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। इन प्रतिबन्धों के तहत वहां की स्थापित राजनीतिक पार्टीयों के नेतृत्व को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि इनके साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल प्रदेश से लेकर केन्द्र तक सरकारें बना चुके हैं। इन प्रतिबन्धनों के चलते राज्य में स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालय अभी तक लगभग बन्द चल रहे हैं। वहां जाने के लिये सीमाराम येचूरी, गुलाम नवी आजाद और राहुल गांधी तक को सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ी है।

हिरासत में लिये गये कुछ लोगों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं जम्मू – कश्मीर उच्च न्यायालय में लंबित चल रही हैं इनमें से एक याचिका पर फैसला भी आ गया है। कुछ पर अदालत ने सरकार से जवाब तलब किया है। लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ब्यान में कहा है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है और कोई प्रतिबन्ध नही है। यदि गृहमंत्री के पास प्रशासन से ऐसी ही जानकारी है तब यह सवाल उठता है कि फिर अदालत में आयी इन याचिकाओं का अर्थ क्या है?

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR AT SRINAGAR
Case no. HCP 41/2019 ([WP Cri) No. 41/2019]
Reserved on 26th August, 2019
Announced on 25.09.2019
Masood Ahmad Bhat
… Petitioner
Through: Wife of petitioner present in person.
vs.
State of J&K and ors.
Through : Mr. Shah Aamir, AAG vice
Mr. S.H Naqashbandhi, AAG
Coram:
Hon'ble Mr. Justice Ali Mohammad Magrey.

JUDGMENT

1. The detenu, Masood Ahmad Bhat son of Abdul Rahman Bhat resident of Chidder, District Kulgam through his brother seeks quashment of detention order no. 03/DMK/PSA/2019 dated 22.01.2019 purporting to have been passed by District Magistrate Kulgam, with consequent prayer for release of the detenu forthwith.
2. The petitioner-detenu has challenged the order of detention on the following grounds:
"a) that no compelling reason or circumstance was disclosed in the order or grounds of detention to take the detenu in preventive detention, moreso in view of the fact that as on the date of passing of the aforesaid order of detention, the detenu was already in custody;
b) that the detenu has not been provided the material forming basis of the detention order, to make an effective representation against his detention order;
c) that the detaining authority has not prepared the grounds of detention by itself, which is a pre-requisite for him before passing any detention order."
3. Notice was issued to respondents. They appeared through their learned counsel and filed counter affidavit wherein they submitted that the detention order is well founded in fact and law and seeks dismissal of the Heabus Corpus Petition.
4. Heard learned counsel for the petitioner as well as the learned counsel for the respondents, perused the writ records, despite direction the detention record was not produced.
5. Learned counsel for petitioner has submitted that the grounds taken in the detention order and the material referred to and relied upon has no relevance because the detenu was already in custody, therefore, there is no possibility that the detenu be implicated in the activities prejudicial to the security, Sovereignty and Integrity of the State. It is submitted that in absence of material the detention order is passed on mere ipsidixit of detaining authority, therefore, the detention order is bad in law. Petitioner has in order to strengthening his submission referred to and relied upon (2006) 2 Supreme Court Cases 664 titled T. V Sravanan Alias S.A.R Prasana v. State through Secretary and anr.
6. The only precious and valuable right guaranteed to a detenu is of making an effective representation against the order of detention. Such an effective representation can only be made by a detenu when he is supplied the relevant grounds of detention, including the materials considered by the detaining authority for arriving at the requisite subjective satisfaction to pass the detention order. Since the material is not supplied to the detenu, the right of the detenu to file such representation is impinged upon and the detention order is resultantly vitiated. Judgements on this point, both of the Supreme Court and of various High Courts, including our own High Court, are galore. I may refer to one such judgment of the Supreme Court herein. In Ibrahim Ahmad Batti v. State of Gujarat, (1982) 3 SCC 440, the Apex Court, relying on its earlier judgments in Khudiram Das v State of W. B., (1975) 2 SCR 81; Icchu Devi Choraria v. Union of India, (1980) 4 SCC 531, in paragraph 10 of the judgment, has held as under:
"Two propositions having a bearing on the points at issue in the case before us, clearly emerge from the aforesaid resume of decided cases: (a) all documents, statements and other materials incorporated in the grounds by reference and which had influenced the mind of the detaining authority in arriving at the requisite subjective satisfaction must be furnished to the detenualongwith the grounds or in any event not later than 5 days ordinarily and in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing not later than 15 days from the date of his detention, and (b) all such material must be furnished to him in a script or language which he understands and failure to do either of the two things would amount to a breach of the two duties cast on the detaining authority under Article 22(5) of the Constitution".
7. In Khudiramcase (supra), the Apex Court has explained what is meant by „grounds on which the order is made. in context of the duties cast upon the detaining authority and the corresponding rights accruing to the detenu under Article 22(5).
8. In Smt. Icchu Devi Case (supra), the Supreme Court has taken the view that documents, statements and other materials referred to or relied upon in the grounds of detention by the detaining authority in arriving at its subjective satisfaction get incorporated and become part of the grounds of detention by reference and the right of the detenu to be supplied copies of such documents, statements and other materials flows directly as a necessary corollary from the right conferred on the detenu to be afforded the earliest opportunity of making a representation against the detention, because unless the former right is available the latter cannot be meaningfully exercised.
09. Examining the present case on the touch stone of the above settled position of law and perusal of record, the detenu was not supplied the materials relied upon by the detaining authority. The detenu was provided material in the shape of grounds of detention with no other material / documents, as referred to in the order of detention. On these counts alone, in view of the above settled position of law, the detention of the detenu is vitiated, the detenu having been prevented from making an effective and purposeful representation against the order of detention.
10. Detenu is involved in substantive offence in FIR No.116/2018 U/Ss 13 (2), 16,18,38,39 ULA (P) Act and has not applied for bail and he is already in custody as no bail granted, therefore, can remain in custody unless released on bail.
11. Accordingly, the detention order no. 03/DMK/PSA/2019 dated 22.01.2019 is quashed and detenu, Masood Ahmad Bhat son of Abdul Rahman Bhat resident of Chidder, District Kulgam is directed to be released from preventive custody forthwith. The matter stands accordingly disposed of, however there is no order as to the costs.
(Ali Mohammad Magrey)
Judge

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR
AT SRINAGAR
CrlM No. 750/2019 in
WP(Crl) No. 262/2019
Abrar Ahmad Ganie
…Petitioner(s).
Through: Mr. Wajid Haseeb, Advocate
Vs.
State of JK and others
…Respondent(s)
Through: Mr. N. H. Shah, Sr. AAG
Coram:

Hon'ble Mr. Justice Sanjeev Kumar, Judge.

ORDER

Notice. Notice accepted by Mr. Shah, learned Sr. AAG. He shall file counter affidavit by next date of hearing.
The issue raised by the petitioner in this petition whether the petitioner-detenu is a minor and, therefore, is required to be treated as Juvenile shall also be addressed in the counter /reply affidavit.
The petitioner has already placed on record the marks card which indicates date of birth of the detenu as 15.03.2003. District Magistrate concerned to look into this aspect specifically and revert to this Court on the next date of hearing.
List on 01.10.2019.
Copy of this order be provided to learned counsel for the respondents under the seal and signature of the Bench Secretary.
(Sanjeev Kumar)
Judge

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR AT SRINAGAR.
CrlM 749/2019
In WP (C) 299/19
Date of order 25.09.2019
Umer Bashir Naikoo
…Petitioner/detenu
Through : Mr. Wajid Haseeb, adv.
V/s
State of J&K and ors
…Respondents
Through : Mr. B.A Dar, Sr. AAG
CORAM:
Hon'ble Mr. Justice Ali Mohammad Magrey, Judge
ORDER

1. This Heabus Corpus petition has been filed by applicant namely Umer Bashir Naikoo through his brother-in-law, challenges the detention order no. 25/DMS/PSA/2019 dated 10.08.2019 , purporting to have been passed by District Magistrate, Srinagar, which is pending decision before the Court.
2. The applicant-petitioner has filed the instant application seeking a direction for shifting of detenu namely Umer Bashir Naikoo s/o late Bashir Ahmad Naikoo R/o Memender, District Shopian to Juvenile Observation Home, claiming the benefit of Juvenility on the strength of age as recorded 16th March 2005 in the "Maktabia Islamia High School, Shopian Kashmir".
3. The claim is made on the strength of photo copy of certificate issued by Principal Maktabia Islamia High School, Shopian on 30.08.2019 under serial no. 126, certifying that the Date of Birth of detenu namely Umer Bashir Naikoo S/o Late Bashir Ahmad Naikoo R/o Memender District Shopian is 16th March 2005. Certificate further mentions that the detenu was enrolled in the institution from 2011 to 2014 and read upto 5th class.
4. When this matter was taken up on motion hearing on 28th August, 2019, the Court while registering the claim made in the petition asked the State counsel Mr. B.A Dar, Sr. AAG to file response by or before 4th Sept. 2019. Response stands filed by District Magistrate, Shopian, indicating therein that the detenu was admitted in the School on 01.03.2012 vide admission no. 823 in class 3rd and at the time of admission no certificate of birth was produced by the parents of applicant-detenu nor the school administration bothered to procure/demand the same from the concerned offices viz Chowkidar, Municipality or Hospital. However, the brother of the detenu furnished an affidavit mentioning the date of birth of the applicant-detenu as 16.03.2005, and school administration has already
issued the certificate to this extent. The District Magistrate's response further indicates that many mutilations were notice in the recorded Date of Birth of many candidates from the Admission Registrar of the School.
5. Since in the instant case, the claim of Juvenility has been raised in terms of Section 8 of the Jammu and Kashmir Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2013 (hereinafter referred to as the Act of 2013), an enquiry is required to be made to determine the age of applicantdetenu as on the date of the detention. The Apex Court in case "Abuzar Hussain v State of W.B,(2012) 10 SCC 489" and "Shah Nawaz v State of UP.,(2011) 13 SCC 751" had recorded it's satisfaction that the entry relating to the date of birth entered in the marks sheet is one of the valid proof of evidence for determination of age of an accused person. However, it is further revealed from the portion of the judgment in paragraphs (23) & (24), that the certificate had been proved by the statement of the Clerk of the concerned School and corroborated by other documents. The certificate produced in this application in proof of the date of birth of the applicantdetenu is neither the original document nor attested by any person, much less an authorized person, therefore, cannot be taken as conclusively establishing the date of birth of the applicant-detenu.
6. In the aforesaid circumstances and to meet the ends of justice, it is provided as under:
i) That the Registrar Judicial, High Court Wing of Srinagar, shall hold an enquiry and take such evidence as may be necessary (but not an affidavit) to determine the age of applicant-detenu namely Umer Bashir Naikoo s/o late Bashir Ahmad Naikoo R/o Memendar, District Shopian, as nearly as may be, on the date of the alleged detention, dated on 10.08.2019.
ii) The Registrar Judicial shall complete such enquiry within a period of 10 days from today and submit the report in sealed cover.
iii) Registry to list the main WP (C) 299/2019 together with the present application for arguments and consideration before the Court on 14th Oct. 2019.
iv) Learned counsel for the parties shall ensure full cooperation as required by the Registrar Judicial during the enquiry enabling her to frame her report.
v) Registrar Judicial shall have all powers to summon the parties in terms of the High Court Rules and Civil Procedure Code.
vi) Copy of the order be furnished to learned counsel for the parties.
List as directed i.e (14th Oct. 2019.)
(Ali Mohammad Magrey)
Judge

कृषि गतिविधियों से आय बढ़ाने पर बल

शिमला/शैल। कृषि-पर्यावरण विकास सोसाइटी (एइडीएस) द्वारा डॉ. वाई.एस. परमार कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के सहयोग से सोलन में विश्व-विकास की दृष्टि से 'कृषि, पर्यावरण एवं संबंधित विज्ञान में उद्यतन प्रगति' (आरएएइएएसजीडी -2019) पर आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कृषक

गतिविधियों में विविधता लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन, जड़ी- बूटियों की खेती, कृषि, मुर्गी पालन और पशुपालन जैसी गतिविधियां अपनाने के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि फसल न होने की स्थिति में किसानों को आय के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हो सकें।

राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में नवीनतम प्रौद्योगिकी और सही नीतियां एक सतत एवं समान वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे प्रत्येक को पेट भर भोजन मिल सके और प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना गरीबी को भी काफी हद तक कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय आपदाओं के बावजूद, कृषि अभी भी एक बेहतर उद्यम है और मौलिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र से भिन्न है।

दत्तात्रेय ने कहा कि कृषि से जुड़े उद्यम कृषकों की आय बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि की भूमिका खाद्य और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत दूध, दालें और जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में है और यह मसालों, मछली तथा पशुधन जैसी गतिविधियों में भी अग्रणी है। उन्होंने कहा कि हालांकि, भारत में अभी भी उत्पादन के संबंध में कई चुनौतियां हैं परन्तु इसके समाधान के लिए वैज्ञानिक अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विविधता और वृद्धि हुई है, जीडीपी में कृषि का योगदान अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगातार कम हुआ है। जबकि भारत में अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है, लेकिन ज्यादातर किसान अपनी पारम्परिक फसलें ही उगाना चाहते हैं जिससे कृषि लागत ज्यादा आती है और आय भी ज्यादा नहीं हो पाती है।

जल स्रोतो के अंधाधुंध दोहन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस संबंध में नीतियों के पुन:निर्धारण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं, जिनमें किसानों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना, निवेश लागत कम करना, जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना, उचित और अधिक स्थानीय भंडारण क्षमता बढ़ाना, खाद्यान्न का वितरण और मिट्टी में सुधार और पानी की गुणवत्ता इत्यादि हैं। उन्होंने कहा कि कृषि आय बढ़ाने के लिए उत्पादों की सीधी मार्केटिंग होनी चाहिए ताकि किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल सके और उन्हें बिचैलियों से भी दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए सुविधाजनक और लोकप्रिय मार्किट सुविधाएं विकसित करने से ही संभव होगा। विशेष रूप से सब्जियों के मामले में, ग्राम सभा और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के साथ गोदाम सुविधाओं का निर्माण किया जाना भी आवश्यक है।

राज्यपाल ने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की नई तकनीकों का भी प्रयोग किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कृषि से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे फसल उपरान्त प्रबन्धन तथा भण्डारण क्षमता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. परमिंदर कौशल ने बताया कि सम्मेलन में 15 राज्यों और पांच देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

कृषि पर्यावरण विकास सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ छत्तर पाल सिंह ने भी सम्मेलन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया। सम्मेलन के संयोजक डॉ नदीम अख्तर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

राज्यपाल ने खाद्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला, कीवी फल खंड और विस्तार शिक्षा निदेशालय का दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा बागवानी विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

प्रदेश सरकार पर्यटकों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित शिमला होटल एसोसिएशन के सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदेश को प्रकृति ने भरपूर प्राकृतिक वैभव से नवाजा है और यहां विविध पर्यटक संभावनाएं विद्यमान हैं, जिनका दोहन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में निरन्तर प्रयासरत है और प्रदेश को पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बनाने के उद्देश्य से अनेक कारगर कदम उठा रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटक गतिविधियों

को बढ़ावा देने के लिए बजट में पहली बार 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया तथा नई राहें-नई मंजिलें नामक नई योजना आरम्भ की। उन्होंने निजी होटलियर्स को प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि यहां आने वाला प्रत्येक पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा सके। इससे पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिल सकेगा।

उन्होंने होटल और आऊटडोर केटरिंग सेवाओं में कार्पोरेट टैक्स की दरें घटाने के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने एक हजार रुपये तक के होटल के कमरों में कोई भी जीएसटी न लगाने का निर्णय लिया है और एक हजार से ज्यादा तथा 7500 रुपये तक के होटल के कमरों में 12 प्रतिशत तक ही जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार सरकार ने 7501 रुपये से ऊपर वाले होटल के कमरों की जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आऊटडोर केटरिंग में जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सभी प्रोत्साहन पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने और पर्यटन उद्योग को व्यापक बढ़ावा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने धर्मशाला में 7 व 8 नवम्बर, 2019 को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक केवल पर्यटन क्षेत्र में 12368 करोड़ रुपये के 195 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुके हैं जोकि अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ऊर्जा क्षेत्र के बाद पर्यटन दूसरा बड़ा क्षेत्र है, जिसमें सबसे अधिक एमओयू साइन हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब यह समझौता ज्ञापन वास्तव में निवेश में परिवर्तित होंगे, इससे न केवल प्रदेश की आर्थिकी में भारी परिवर्तन आएगा अपितु प्रदेश में हजारों युवाओं के लिए रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।

शिमला होटल ऐसासिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत करते हुए केन्द्र सरकार को होटलों के लिए जीएसटी की दरें घटाने के लिए धन्यवाद किया। शिमला के प्रसिद्ध होटलियर मुकेश मल्होत्रा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

केसीसी योजना के तहत 404029 किसानों को मिली 1043 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता:प्रबोध सक्सेना

शिमला/शैल। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश में 404029 किसानों को 1043 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और 177564 लाभार्थियों को मुद्रा योजना के तहत 2958 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया। यह बात प्रधान सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना ने यूको बैंक की हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की 153वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि इस वर्ष बैंकों ने हिमाचल प्रदेश में 6327.21 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 8620.08 करोड़ रुपये के नए ऋणों का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बैंकों द्वारा 760.55 करोड़ रुपये के मुकाबले गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 2571.38 करोड़ रुपये के नए ऋण वितरित किए गए हैं तथा कृषि क्षेत्र में 1854.46 करोड़ रुपये के मुकाबले 2767.97 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि फसल ऋण के तहत बैंकों द्वारा 6760.61 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि अभी तक बैंकों के पास 117925.31 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि तथा 51753.61 करोड रुपये की अग्रिम राशि उपलब्ध हैं, जिसका सीडी अनुपात 45.92 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीधा लाभ स्थानान्तरण (डीबीटी) सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। राज्य डीबीटी पोर्टल को भारत डीबीटी पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। अभी तक कुल 164 (72 केन्द्रीय तथा 92 राज्य प्रायोजित स्कीमे) स्कीमें भारत डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि 3631.55 करोड़ रुपये की राशि 50 नगद योजनाओं के तहत आधार से जुड़े हुए बैंक लाभार्थियों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बैंक सराहनीय कार्य कर रहे हैं और वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से प्रदेश के अधिकतम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाया गया है और बैंक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।

उन्होंने प्रदेश के सभी बैंकों से समय-समय पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को असुविधा न हो इसके लिए उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे अपनी एटीएम सुविधा को अधिक सक्षम बनाएं, जिससे प्रदेश में पर्यटकों को एटीएमों में नगदी न होने पर असुविधा का सामना न करना पड़े।

यूको बैंक के प्रबन्धक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.के. गोयल ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में विविध विकास हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत बैंकों द्वारा 362 मामले स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना में 546 दावों और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1030 दावों का निपटारा किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबन्धक के.सी. आनन्द ने कहा कि वर्तमान में राज्य में बैंकों के 2175 शाखाओं और 1990 एटीएम के नेटवर्क हैं और बैंक मित्र के माध्यम से 1762 बैंकिग सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

इसके उपरांत प्रबोध सक्सेना द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को राज्य के स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया।

यूको बैंक शिमला के उप महाप्रबन्धक जे.एन. कश्यप, नाबार्ड के महाप्रबन्ध निलय डी. कपूर तथा सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंको के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 2000 लोगों के आने की संभावना:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने 7 व 8 नवम्बर, 2019 को धर्मशाला में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए गठित आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह व मनोज कुमार और प्रधान सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग संजय कुंडू उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की सफलता के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान 1500 से 2000 लोगों के आने की संभावना है, जिनके ठहरने तथा परिवहन के उचित प्रबन्ध सुनिश्चित बनाए जाएं। उन्होंने निवेशकों व अन्य अतिथियों की परिवहन व्यवस्था के लिए किसी पार्टनर को जिमा सौंपने के भी निर्देश दिए। इस समारोह के लिए हेल्पलाइन नम्बर भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें ठहरने, परिवहन तथा समारोह से संबंधित अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि इस सम्मिट के लिए 1600 से अधिक आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं और विभिन्न देशों के 20 से 25 राजदूतों के आने की संभावना है। इसके अलावा, केन्द्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अतिथि गृहों के अतिरिक्त अति विशिष्ठ तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए धर्मशाला, पालमपुर तथा कांगड़ा में कमरे आरक्षित किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि आयोजक समिति की अगली बैठक 16 अक्तूबर, 2019 को धर्मशाला में आयोजित की जाएगी।

बैठक में जानकारी दी गई कि सम्मिट के सफल आयोजन के लिए 9 समितियां गठित की गई हैं। सम्मिट में आठ सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मंत्री, सचिव तथा अन्य व्यक्ति अपने अनुभव सांझा करेंगे। सम्मिट के प्रथम दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग की 18 पुलिस सब्सिडरी केन्टीने आरम्भ

शिमला/शैल। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों के कल्याणार्थ, इन्हे दैनिक उपयोग में आने वाली एवं अन्य वस्तुओं को बाजार भाव से सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में केन्द्रीय पुलिस बल कैन्टीन व्यवस्था

लागू की गई है। इस व्यवस्था के अर्न्तगत उच्च गुणवता वाली घरेलू वस्तुयें सस्ते दामों पर उपलब्ध करवायी जाती है और अब तक इस व्यवस्था के संचालन हेतु कुल 119 मास्टर कैन्टीने और करीब 1900 सबसिडरी पुलिस कैन्टीने नियमानुसार, गृह मंत्रालय की अनुमति से खोली जा कर संचालित की गई है। वर्ष 2011 के उपरान्त गृह मंत्रालय द्वारा इस व्यवस्था का लाभ राज्य पुलिस बलों को भी दिया जाना आरम्भ किया गया है।

इस व्यवस्था के अर्न्तगत, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा केन्द्रीय पुलिस बलो के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके केन्द्रीय खरीद समिति का गठन किया जाता है और यह समिति ही पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों की सभी आवश्यकता की अधिकतम वस्तुएं, जिसमें मुख्यत:Toiletries, Home appliances, Electricals, Food items, Textiles, Foot wear, Cosmetics एवं Electronics आदि श्रेणीयों की वस्तुओं की किस्में, गुणवता एवं मुल्य निर्धारित प्रतिवर्ष एक बार किया जाता है और निर्धारित मुल्य एवं श्रेणियों के अनुसार ही चिन्हित Producers और Suppliers से निर्धारित डिपुओं अर्थात मास्टर केन्टीनों द्वारा भारी मात्रा में वस्तुओं के भण्डार खरीद किये जाते है तथा इन मास्टर केन्टीनों से आगामी सब्सिडरी पुलिस कैन्टीनों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत करीब 17000 और सेवानिवृत करीब 20000 कर्मचारियों, अधिकारियों और इनके परिवारजनों तथा प्रदेश भर में रहने वाले सेवानिवृत केन्द्रीय पुलिस बलों से सम्बन्धित परिवारों के हित में एक अत्यन्त कल्याणकारी कार्य करते हुये इस व्यवस्था का प्रक्षेपण (Launching) मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 15.12.2018 को कांगडा जिला पुलिस मुख्यालय, धर्मशाला से किया गया और इस अवसर पर प्रदेश भर में कुल 4 पुलिस कैन्टीने जिसमें धर्मशाला, मण्डी, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह और शिमला में आरम्भ की गई। इसके उपरान्त इन पुलिस केन्टीनों के कारण सेवारत एवं सेवानिवृत पुलिस कर्मीयों एवं इनके परिवारजनों को प्राप्त होने वाले लाभ, सभी कर्मचारियों के बढ़ते उत्साह और मनोबल के चलते विभाग द्वारा इस व्यवस्था का विस्तारीकरण किया गया जिसके अनुसार फरवरी, 2019 में 3 और नई पुलिस केन्टीनें, नाहन, चम्बा एवं उना में आरम्भ की गई। इसके उपरान्त मई, 2019 के दौरान 9 और पुलिस केन्टीनें प्रथम भारतीय आरक्षित वाहिनी बनगढ, तृतीय भारतीय आरक्षित वाहिनी पण्डोह, चतुर्थ भारतीय आरक्षित वाहिनी जंगलबैरी, पंचम भारतीय आरक्षित वाहिनी बस्सी, जिला पुलिस मुख्यालय बिलासपुर, जिला पुलिस मुख्यालय हमीरपुर, जिला पुलिस मुख्यालय कुल्लू, जिला पुलिस मुख्यालय बद्दी एवं जिला पुलिस मुख्यालय सोलन में आरम्भ की गई तथा माह अगस्त, 2019 में 2 और पुलिस केन्टीने जिला पुलिस मुख्यालय लाहौल एवं स्पिति, केलांग और जिला पुलिस मुख्यालय किन्नौर, रिकांगपिओ में भी आरम्भ की गई है और इस प्रकार अब तक प्रदेश भर में पुलिस विभाग द्वारा कुल 18 पुलिस सब्सिडरी केन्टीने आरम्भ कर संचालित की गई है और इन केन्टीनों में से अब तक कुल करीब 8 करोड रूपये के मुल्य की अलग-अलग वस्तुयें प्रदेश भर के कार्यरत, सेवानिवृत और पुलिस परिवारों द्वारा तथा सेवानिवृत एवं कार्यरत केन्द्रीय पुलिस बलों के सदस्यों द्वारा खरीदी जा चुकी है जिससे लगभग 1.7 करोड रूपये का सीधा-सीधा लाभ सभी खरीददार लाभार्थीओं को पहुंचा है। अब तक इस व्यवस्था के अन्तर्गत की जाने वाली खरीद पर अत्यन्त व्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर निर्धारित GST विधिवत अदा किया जाता है और वर्तमान में गृह मंत्रालय द्वारा GST की दर पर, सेनाओं से सम्बन्धित केन्टीनों की तर्ज पर छूट देने हेतु मामला उठाया जा चुका है जो वित मंत्रालय के विचाराधीन है। मास्टर केन्टीनों द्वारा उत्पादकों एवं वितरकों से भारी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के उपरान्त जो आपूर्ति सब्सिडरी केन्टीनों को की जाती है उस पर 1% और सब्सिडरी केन्टीनों द्वारा जो कीमत मास्टर केन्टीनों को अदा की जाती है उस पर बिक्री करते समय अपनी लागत से 2% अधिक कीमत वसूल की जाती है और यह अतिरिक्त राशि इन केन्टीनों के संचालन से सम्बन्धित छिट-पुट खर्चो के लिये इस्तेमाल की जाती है। शेष राशि को पुलिस बल के कल्याणकारी कार्यो पर खर्च किया जाता है।

इस सुविधा का किसी प्रकार से कोई दुरूपयोग न कर सके और सभी लाभार्थिओं को चिन्हित वस्तुओं में से कभी भी किसी भी वस्तु को निर्धारित सीमा के अन्दर, खरीद करने की सुविधा/ स्वतंत्रता बनी रहे, इस उद्देश्य से प्रत्येक लाभार्थी की क्रय सीमा निर्धारित की गई है जो निम्न प्रकार से है:-

1. प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली घरेलू वस्तुयें-10,000/-प्रतिमाह
2. घरेलू उपकरणों की खरीद करने हेतु-1,00,000/- रू0 प्रति 3 वर्ष।

इन पुलिस केन्टीनों के आगामी सही संचालन एवं पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस केन्टीन स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू की जा रही है और इस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी लाभार्थिओं, जो करीब-करीब 45 हजार से अधिक होने सम्भावित है के सर्माट कार्ड बनाये जा रहे है तथा इसके साथ ही सभी पुलिस केन्टीनों को एक नेट के अन्तर्गत शामिल करके, सभी लाभार्थिओं को तय सीमा के भीतर, कभी भी किसी भी केन्टीन से कोई भी वस्तु खरीद करने की सुविधा उपलब्ध की जानी प्रस्तावित है जिस पर कार्य किया जा रहा है और सम्भवत: वर्तमान वर्ष के अन्त तक यह सुविधा एवं व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू की जा सकेगी।

पुलिस केन्टीनों मे माध्यम से सस्ते मूल्यों पर जरूरत की वस्तुयें खरीद करने की सुविधा बडे शहरों से बाहर कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत लाभार्थिओं की सुविधा को मध्यनज़र रखते हुये मोबाईल केन्टीने भी आरम्भ की जा रही है जिसके माध्यम से एक सुनियोजित तरीके से एक निश्चित अन्तराल में एक बार यह सुविधा करीब-करीब सभी उन क्षेत्रों में उपलब्ध करवायी जाएगी जो जिला मुख्यालयों से अधिक दूरी पर स्थित है।

कृषि की सफलता के लिए नई कृषि तकनीक को अपनाने की जरुरत:विशेषज्ञ

शिमला/शैल। नई कृषि प्रौद्योगिकी के विकास और उसे अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने से देश में कृषि गतिविधियों की सफलता और किसानों की आय बढ़ाने में योगदान मिलेगा। इन सिफारिशों के साथ 'विश्व-विकास की

दृष्टि से कृषि, पर्यावरण एवं संबंधित विज्ञान में उद्यतन प्रगति पर आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नौणी में सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन कृषि-पर्यावरण विकास सोसाइटी (एइडीएस) द्वारा डॉ वाईएस परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, काइरो विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी रिसर्च इंस्टीटयूट और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, नेपाल के सहयोग से आयोजित किया गया था।

सम्मेलन के अंतिम सत्र में स्थानीय समिति के सह-अध्यक्ष डॉ एचआर गौतम ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभागियों के बीच नवीन विचारों का आदान-प्रदान करने में मदद मिली। चूंकि 60 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागी विभिन्न शोध संस्थान के युवा शोधकर्ता थे, इसलिए इस सम्मेलन से भविष्य के अनुसंधान कार्यक्रमों में शानदार प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपना शोध प्रस्तुत किया। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रगति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका सुरक्षा के लिए स्थायी पहाड़ी खेती, पर्यावरण प्रबंधन में उभरते मुद्दों, जैविक और संबद्ध विज्ञानों में हालिया प्रगति जैसे प्रमुख विषयों पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई।

अपनी प्रस्तुति में डॉ डीबी पारेख, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर एनबीपीजीआर, नई दिल्ली ने कृषि क्षेत्र में एलईडी ग्रो लाइट्स के इस्तेमाल पर प्रकाश डाला। इस खाद्य उत्पादन तकनीक में 40 प्रतिशत कम बिजली, 80 प्रतिशत कम खाद्य अपव्यय, बाहरी क्षेत्रों की तुलना में 99 प्रतिशत कम पानी का उपयोग होता है और कार्बन फुटप्रिंट भी कम करने में मदद मिलती है। बीमारियों और कीटों के बिल्कुल कम प्रभाव से इस तकनीक में किसी भी रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है और इससे स्वस्थ खाद्य पदार्थो का उत्पादन करने में मदद मिलती है। आजकल अधिक से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं और खेती योग्य भूमि सिकुड़ रही है, इस तरह की तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग में इस्तेमाल करके भूमि पर दबाव कम करने में इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

डॉ. आरके शर्मा, प्रख्यात वैज्ञानिक और आईसीएआर-इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ व्हीट एंड बारले रिसर्च, करनाल के संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम प्रमुख ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उभरती हुई खेती की तकनीक का व्यापक विवरण दिया। उन्होंने कहा कि टिकाऊ उच्च उत्पादकता और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए, कुशल संसाधन संरक्षण और इनपुट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर प्राकृतिक संसाधन क्षरण की प्रवृत्ति को उलटने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेजर भूमि समतलन और जरूरत आधारित नाइट्रोजन अनुप्रयोग के लिए NDVI सेंसर का उपयोग गेहूं की उत्पादकता के साथ-साथ चावल में 15-20% नाइट्रोजन बचाता है। मिट्टी की सतह पर फसल अवशेषों को छोड़ना यानी संरक्षण कृषि से एक सिंचाई को बचाने में मदद मिल सकती है जो कि 15% से अधिक पानी की बचत होगी। सूक्ष्म-सिंचाई अभ्यास (स्प्रिंकलर और ड्रिप) पारंपरिक बाढ़ सिंचाई अभ्यास की तुलना में 25-30% से अधिक पानी बचा या सकता है।

आईवीआरआई के पालमपुर क्षेत्रीय स्टेशन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ रिंकू शर्मा ने मवेशियों में होने वाली बीमारी एनजूटिक गोजातीय हेमटुरिया *(Enzootic bovine haematuria)* की बढ़ती समस्या पर प्रकाश डाला, जो की फर्न के क्रोनिक इनजेशन के कारण होता है। यह बीमारी समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर कुल्लू, चंबा, मंडी और शिमला जिलों की कुछ क्षेत्रों में पाई गई है। उन्होंने साझा किया की प्रायोगिक अध्ययनों से पता चला है कि लंबे समय तक भोजन में ड्रायोप्टेरिस निग्रोपलासी फर्न (Dryopteris nigropalaeae fern) से जानवरों में यह बीमारी होती है। डॉ शर्मा ने सुझाव दिया कि इन क्षेत्रों में किसानों को चारे के लिए या चारे की बेडिंग सामग्री के रूप में फर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि चराई के लिए खाली पेट मवेशी न भेजें। एनडीआरआई करनाल के एक रिसर्च स्कॉलर डॉ राजिंदर चौधरी ने ओमेगा 3 के एक एनकैप्सुलेट के विकास, जो शाकाहारी स्रोतों से प्राप्त किया गया है,पर अपना शोध साझा किया। आधुनिक जीवनशैली के कारण, खाद्य पदार्थो में ओमेगा 3 की कमी से गठिया, सोरायसिस, हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। एन्कैप्सुलेट को सीधे अन्य खाद्य पदार्थो में डाला जा सकता है।

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारत के 15 राज्यों और पांच देशों के 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ जेएन शर्मा, निदेशक अनुसंधान, डॉ एसके शर्मा, डॉ अनिल हांडा और विश्वविद्यालय के अन्य वैज्ञानिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाया जाएगा विशेष अभियान:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। प्रदेश में नशे के खिलाफ 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2019 तक एक माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस अभियान का नोडल विभाग बनाया गया है। मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने इस अभियान के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, युवा सेवाएं एवं खेल, गृह, पुलिस विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसायटी तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। विभिन्न विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में पहले से ही कई कार्यक्रम व गतिविधियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नशा समाज को विशेषकर युवाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है तथा सभी लोगों को मिलजुल कर नशे के खिलाफ अभियान चलाना होगा ताकि इस बुराई को समाज से जड़ से उखाड़ा जा सके। बैठक में उपस्थित सभी विभागों के प्रतिनिधियों को इस अभियान की समय पर तैयारी करने तथा विभिन्न कार्यक्रम व गतिविधियां निर्धारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस विभाग को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नशे के व्यापार पर रोक लगाने की दिशा में और भी कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को समाज में नशे की आदत से छुटकारा पाने और विकासात्मक गतिविधियों में शामिल होने में लोगों में जागरूकता लाने के भी प्रयास किए जाने चाहिए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

shailsamachar.co.in

यह उपचुनाव कांग्रेस ही नही राठौर के लिये भी परीक्षा और चुनौती होंगे

उम्मीदवारों के नामांकन से आगे बढ़ी चुनावी प्रक्रिया

शिमला/शैल। धर्मशाला से विजय इन्द्र करण और पच्छाद से गंगूराम मुसाफिर को कांग्रेस ने इन उपचुनावों के लिये अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गंगूराम मुसाफिर का प्रत्याशी होना शुरू से ही तय माना जा रहा था। मुसाफिर पूर्व मंत्री है और पार्टी का एक बड़ा नाम भी हैं। इस समय कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसमें इसी तरह के वरिष्ठ नेताओं को आगे लाने की आवश्यकता भी मानी जा रही है और उस गणित से मुसाफिर को उम्मीदवार बनाया जाना एकदम सही फैसला माना जा रहा है। क्योंकि यदि संकट के समय ऐसे वरिष्ठ लोगों के स्थान पर एकदम नये चेहरों को मैदान में उतार दिया जाये तो उससे मनोवैज्ञानिक तौर पर अनचाहे ही यह संदेश चला जाता है कि वरिष्ठ नेतृत्व डर के कारण मुकाबला करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। इसलिये पच्छाद से मुसाफिर के उम्मीदवार होने से पार्टी डर के आरोप से तो मुक्त हो गयी है।

लेकिन इसी गणित में धर्मशाला में पार्टी असफल भी हो गयी है। क्योंकि वहां पर अन्तिम क्षणों में पूर्व मन्त्री सुधीर शर्मा के चुनाव न लड़ने के फैसले से एकदम नये चेहरे विजय इन्द्र करण को मैदान में उतारना पड़ा है जबकि अन्त तक जनता यह मानकर चल रही थी कि सुधीर ही वहां से उम्मीदवार होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में सुधीर तीन हजार के करीब अन्तर से चुनाव हारे थे। अब जिस तरह से जयराम सरकार का अब तक कार्यकाल रहा है उसमें यह माना जा रहा था कि उपचुनाव में सुधीर पिछली हार का बदला ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। सुधीर अभी युवा हैं और उनके इस उपचुनाव से भागने का उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यह तय है। इसलिये यह विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है कि आखिर अन्तिम क्षणों मे ऐसा क्या घटा जिससे सुधीर को उपचुनाव से भागना पड़ा। क्योंकि किश्न कूपर के सांसद बनने के साथ ही स्पष्ट हो गया था कि छः माह के भीतर यहां उपचुनाव होगा ही। फिर सुधीर ही धर्मशाला से पिछले चुनाव में प्रत्याशी थे तो उपचुनाव में भी उन्हीं का प्रत्याशी होना स्वभाविक माना जा रहा था और इस दौरान एक बार भी सुधीर ने यह नहीं कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं।

इस परिदृश्य में जहां कांग्रेस को इन उपचुनावों में अपनी राजनीतिक परिपक्वता को पुनः स्थापित करने की चुनौती है वहीं पर उसे इस पर भी गंभीरता से चिन्ता और चिन्तन करना होगा कि सुधीर जैसा और कुछ न घटे क्योंकि कूपर के सांसद बनने से यह स्पष्ट था कि उपचुनाव में वही पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो उसी के साथ इस गणित को बिगाड़ने का खेल रचा जाना शुरू हो गया था और इस खेल की पहली झलक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान देखने को मिली। इसी दौरान मीडिया के एक वर्ग में यह खबर छप गयी कि सुधीर धर्मशाला से भाजपा के उपचुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं। सुधीर ने इन समाचारों का पुरजोर खण्डन किया। स्पष्ट कहा कि वह कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे तथा धर्मशाला से चुनाव लड़ने के लिये पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद उनके नाम से ही यह समाचार आ गया कि वह प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की कार्य प्रणाली से खुश नही हैं और उनका त्यागपत्र मांगा है तथा इस आश्य का एक पत्र राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखा है। लेकिन बाद में पड़ताल करने पर यह समाचार भी निराधार पाया गया। लेकिन इसका खण्डन उसी प्रमुखता के साथ समाने नहीं आया। अब सुधीर भाजपा के प्रत्याशी नही हुए हैं लेकिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने अब भी एक साक्षात्कार में यह संकेत दिया है कि सुधीर को लेकर इस तरह का विचार अवश्य चल रहा था। सत्ती का यह साक्षात्कार कांग्रेस में एक भ्रम पैदा करने के लिये काफी है। इससे भाजपा और मीडिया के एक वर्ग की रणनीति को समझने का पर्याप्त आधार उपलब्ध हो जाता है।

प्रदेश कांग्रेस के भविष्य की दशा दिशा तय करने में इन उपचुनावों के परिणामों की महत्वूपर्ण भूमिका होगी यह तय है। राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के नाम पर केन्द्रिय ऐजैन्सीयों सीबीआई और ईडी की सक्रियता के निशाने पर कांग्रेस सहित विपक्ष के बड़े नेता चल रहे हैं यह अब तक स्पष्ट हो चुका है। इन ऐजैन्सीयों के राडार पर आये कई नेता तो भाजपा में शरण लेकर भयमुक्त भी हो चुके हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की हर राज्य में ऐसी कमजोर कड़ीयों पर नजर है और इन्हें परोक्ष/अपरोक्ष मे तोड़कर भाजपा में शामिल करवाने की रणनीति भी है। हिमाचल भी इस संद्धर्भ में कोई अपवाद नही है। यहां पर भी कांग्रेस के कई नेता इन ऐजैन्सीयों के राडार पर हैं यह भी स्पष्ट है। ऐसे नेता अब इन ऐजैन्सीयों के दवाब के कारण अपना राजनीतिक आचरण बदल लें यह कहना कठिन हैं इस परिदृश्य में यह राजनीतिक वस्तुस्थिति प्रदेश के नेतृत्व के लिये एक बड़ी चुनौती होगी यह तय है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिये लोकसभा चुनावों के बाद यह उपचुनाव अपने को स्थापित करने का दूसरा अवसर होंगे। लोकसभा चुनावों में राठौर को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले हुए बड़ा समय नहीं हुआ था। उस समय कई बड़े नेताओं के विरोधाभासी ब्यानों से पार्टी को नुकसान पहुंचा था लेकिन राठौर अब नये होने का कवर नही ले पायेंगे। इस समय संगठन में सारे पदाधिकारीयों के चयन में उनकी सहमति को अधिमान दिया गया है। इसलिये इन चुनावों के परिणामों का सीधा असर उन पर पड़ेगा। राठौर ईडी और सीबाआई के राडार पर नही हैं ऐसे में सरकार के खिलाफ आक्रामकता की पूरी कमान उन्हे सीधे संभालनी होगी। आज केन्द्र से लेकर राज्य तक सरकार असफलताओं से भरी पड़ी है और इन असफलताओं को जनता के बीच ले जाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इस परिप्रेक्ष में यह उपचुनाव पार्टी के साथ ही राठौर के लिये भी एक बड़ी परीक्षा और चुनौती होंगे यह तय है। पार्टी के उम्मीदवारो ने दोनो स्थानों से नामांकन भर दिये है। पच्छाद में राठौर और धर्मशाला में मुकेश रहे उपस्थित।

सत्ती के ब्यान से बदली सुधीर की स्थितियां

शिमला/शैल। सुधीर शर्मा धर्मशाला से कांग्रेस के प्रत्याशी नही हुए हैं क्योंकि उन्होनें यह उपचुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया था। लेकिन इस इन्कार से पहले यह समाचार भी आये थे कि सुधीर भाजपा से यह उपचनुाव लड़ सकते हैं। सुधीर ने इस समाचार का खण्डन करते हुए अखबार को शायद नोटिस भी भेजा था परन्तु इससे आगे बात नही बड़ी थी। परन्तु अब भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने एक चैनल को दिये ब्यान में यह कहा है कि सुधीर भाजपा के संपर्क में चल रहे थे। सत्ती के इस ब्यान से पहले आये समाचारों को ही बल मिलता है। सुधीर ने सत्ती के इस ब्यान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सत्ती इस ब्यान को वापिस लें नही तो वह उन पर मान हानि का मामला दायर करेंगे।

सत्ती यह ब्यान वापिस लेते हैं या नही और सुधीर उन पर मानहानि का मामला दायर करते हैं या नही यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन सत्ती-सुधीर के इस द्वन्द के बाद सुधीर के लिये राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। क्योंकि सुधीर पहले कह चुके हैं कि वह शायद इस उपचुनाव के लिये समय न दे पायें क्योंकि उन्हें ईलाज के लिये विदेश जाना है। अब इस उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे स्व. मूल राज पाधा के बेटे ने भी बतौर आजाद उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है। इस नामांकन को कांग्रेस में विरोध और विद्रोह की संज्ञा दी जा रही है। यहां यह भी गौरतलब है कि पाधा के सुधीर के साथ बहुत निकट के रिश्ते हैं और इन रिश्तों के कारण यह विद्रोह अनचाहे ही सुधीर के नाम लग जायेगा। इससे सुधीर के राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाते हैं। क्योंकि इन परिस्थितियों में आने वाले दिनों में पार्टी सुधीर के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिये कारवाई तक कर सकती है।

इस परिदृश्य में राजनीतिक विश्लेष्कों के अनुसार सुधीर को अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखने के लिये सत्ती के ब्यान का व्यवहारिक जवाब देने के लिये धर्मशाला में पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिये पूरी सक्रियता के साथ चुनाव का संचालन संभालना होगा। क्योंकि वह अब अपने को पार्टी का लोकसभा के लिये प्रत्याशी प्रौजैक्ट कर सकते हैं इसके लिये उन्हें कांग्रेस के विद्रोही को भी चुनाव से हटाने के लिये प्रयास करने होंगे। क्योंकि सत्ती का ब्यान एक ऐसे वक्त पर आया है जिसके जवाब के लिये सुधीर को पूरी ईमानदारी से व्यवहारिक रूप से चुनाव में सक्रियता दिखानी होगी।